

CIVIL No. 1000-2

संख्या- 1000/15-7-03-1000 15/7/03

विद्यालय  
बाल मन्दिर  
अलिगढ़

दिनांक

विद्यालय के अधीन आगंतुक नहीं है :-

विद्यालय

दिनांक: 7.8.03

विद्यालय के अधीन आगंतुक नहीं है :-

विद्यालय

अनुच्छेद विद्यालय के अधीन आगंतुक नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौदागरी ल सभल-सभल पर प्रमाणित कराया जायेगा।
- 125 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रशिक्षित स्थापन अनुसूचित जाति/समाज के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उच्चतर शिक्षा परिषद द्वारा नामित विद्यालयों में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से प्रवेश द्युक्त नहीं किया जायेगा।
- 148 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तब विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्डिंग फार टि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट प्रकाशित नसीदरों से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उका केन्द्रीय परिषदों को संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः अनाप्त हो जायेगा।



D. S. Bal Mandir Manager

*Jooniya Gupta*

*Jooniya Gupta*  
D. S. Bal Mandir, Aligarh

- 151 नया शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कक्षा रियॉ के राष्ट्रीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कक्षा रियॉ को अनुमत्त संस्थाओं तथा अन्य भारत के कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं किये जायेंगे ।
- 161 कक्षा रियॉ को सेवा शर्तें कसपी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उत्पत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा रियॉ के अनुमत्त सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी जादेश निमित्त किये जायेंगे संस्था उनका पालन करनी ।
- 181 विधायक का रिजर्ज्ड नियुक्ति प्रपत्र/संविदाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के ध्यानुमोदन के बिना कोई परिसर/संस्थान/संविदा नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार जो त्रुटि या दिशिमता धरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुपत्ति प्रमाण एवं सापत्त से निषा जायेगा ।

भारतीय

3

पुस्तकें एवं विवरण

प्रतिबंधित निम्नलिखित को (सुवर्ण एवं आचरण) कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
- 2- भारतीय संस्कृत शिक्षा निदेशक
- 3- शिक्षा विधायक निरीक्षक
- 4- निरीक्षक (उच्च) भारतीय विद्यलय 2050, नकाज ।
- 5- प्रमुख, उच्च शिक्षण एवं संस्कृत, उत्तर प्रदेश
- 6- नकाज ।



D. S. Bal

3

3

3

3

3